



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर लूट व जानबूझ कर गम्भीर चोट पहुंचाने वाले 02 अभियुक्त को 08-08 वर्ष के कारावास व 16,000/- रु0 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गयी।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना बिवांर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 469/13 धारा-394,411 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय मा0 न्यायालय डकैती कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.बब्लू उर्फ बदरुद्दीन पुत्र कमरुद्दीन व 2.जुगन उर्फ जावेद अहमद पुत्र मकसूद अहमद नि0गण मु0 फत्तेपुर कस्बा व थाना मौदहा, जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 08-08 वर्ष के कारावास व ₹ 16,000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



विशेष लोक अभियोजक
सुभाष कुमार श्रीवास्तव



विवेचक-
उ0नि0 जगदेव प्रसाद
यादव



पैरोकार- थाना बिवांर
का0 श्रीकान्त राजपूत